

राजस्थान सरकार  
न्याय विभाग

क्रमांक:प.2(2) सामान्य / न्याय / 2025

जयपुर, दिनांक

समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव  
समस्त जिला कलक्टर (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

**विषय:-** प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक रूप से लाईट्स पोर्टल के माध्यम से किए जाने बाबत निर्देश जारी किए हुए हैं। पोर्टल के माध्यम से प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों/दायित्वों का नियुक्ति आदेश में वर्णन रहता है। संज्ञान में आया है कि कुछ प्रभारी अधिकारियों/समन्वयकों द्वारा वर्णित दायित्वों का सम्पादन नहीं किया जा रहा है। स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख आदि नवीन प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को उपलब्ध कराने बाबत प्रावधान है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों/समन्वयकों को इस संबंध में निर्देश प्रदान करावें।

विशिष्ट शासन सचिव

